

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
दुक्य की तालीम  
में जारी हुए

तारीख दुक्य  
12.04.2023

रुकनाथ बनाम खीर  
दुक्य वा कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज  
श्री १० पत्र अस्थायी निषेध. मु.नं. 302/14  
पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय

पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

  
12/04/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

